

दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

2029-30 के लिए निर्यात लक्ष्य

2364. श्री प्रवीण पटेल:

श्री भर्तृहरि महताब:

डॉ. के. सुधाकर:

श्री धर्मबीर सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और भेषज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वर्ष 2029-30 के लिए निर्यात लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इलेक्ट्रॉनिकी, वस्त्र और भेषज क्षेत्रों में वर्तमान निर्यात निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली पहलों के विशेष संदर्भ में इन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों विशेषकर भिवानी-महेन्द्रगढ़ क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने में अवसंचरणा विकास और नीतिगत सुधारों की क्या भूमिका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) यद्यपि सरकार वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के माल निर्यात के साथ कार्य कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और भेषज शामिल हैं, इसे वैश्विक भू-राजनैतिक स्थिति, वैश्विक विकास और अनेक अन्य बाहरी बदलते कारकों के संदर्भ में देखा जाएगा। वर्ष 2024-25 (अप्रैल-अक्टूबर) के शुरुआती 7 महीनों में, भारत ने 250.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात पूरा किया, जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान प्राप्त निर्यात से अधिक है। वर्ष 2024-25 (अप्रैल - अक्टूबर) के दौरान मुख्य वस्तु-वार निर्यात उपलब्धि अनुलग्नक I पर संलग्न है।

(ग) सरकार द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ जिले सहित देश से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात संवर्धन संबंधी निम्नलिखित पहलों की गई हैं:-

(i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंचरणा स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास निर्यात संबंधी मूलभूत अवसंचरणा को बढ़ाने, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने आदि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि-उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय क्षेत्र विशिष्ट स्कीम है।

(v) एपीडा द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन, जैविक उत्पादन हेतु मानक, जैविक कृषि और विपणन के संवर्धन आदि शामिल हैं।

(vi) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीए) द्वारा मूल्य संवर्धन हेतु अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन करने, परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने, और निर्यात से अभिप्रेरित जलकृषि उत्पादन आदि के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(vii) भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने और भारतीय बाजार में निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए गए हैं।

(viii) श्रम उन्मुख क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।

(ix) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से भेषज, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है।

(x) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातको / विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए निर्यात हब के रूप में जिले पहल की शुरुआत की गई है।

(xi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(xii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(xiii) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी और समय-समय पर सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

(xiv) सरकार ने 11 सितंबर, 2024 को ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता मंच है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग और अन्य संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाता है।

(घ) वाणिज्य विभाग ने डीजीएफटी के माध्यम से निर्यात हब के रूप में जिले (डीइएच) पहल के तहत भिवानी-महेन्द्रगढ़ क्षेत्र सहित हरियाणा के सभी 22 जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाए किए हैं। डीजीएफटी ने, हितधारकों के परामर्श से हरियाणा के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की है। इसके अतिरिक्त, राज्य में जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) और राज्य में, राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। 16 जिलों में डीईपीसी बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा के 16 जिलों हेतु जिला निर्यात कार्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं।

दिनांक 10 दिसम्बर 2024 का उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2364 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

वर्ष 2024-25 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान प्रमुख वस्तु-वार निर्यात मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में उपलब्धि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रमुख वस्तु	निर्यात उपलब्धि (अप्रैल-अक्टूबर, 2024)
1	चाय	526
2	कॉफी	1,047
3	चावल	6,170
4	अन्य अनाज	121
5	तंबाकू	1,188
6	मसाले	2,476
7	काजू	166
8	खली	801
9	तिलहन	751
10	फल और सब्जियां	2,013
11	अनाज विनिर्मितियां और विविध प्रसंस्कृत मद	1,813
12	मांस, डेयरी और मुर्गीपालन उत्पाद	2,686
13	समुद्री उत्पाद	4,189
14	लौह अयस्क	1,237
15	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रक्रिया सहित खनिज	2,691
16	सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने उत्पाद	2,333
17	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	16,817
18	पेट्रोलियम उत्पाद	39,068
19	प्लास्टिक और लिनोलियम	5,211
20	चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण	2,606
21	रत्न और आभूषण	17,160
22	औषध एवं भेषज	17,032
23	इंजीनियरिंग वस्तुएं	67,426
24	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	19,068
25	सूती धागा/कपड़ा/निर्मितियां, हथकरघा उत्पाद आदि	6,989
26	मानव निर्मित धागा/कपड़ा/निर्मितियां इत्यादि	2,833
27	सभी कपड़े के आरएमजी	8,725
28	फर्श कवरिंग सहित जूट विनिर्माण	208
29	कालीन	892
30	हस्तशिल्प हाथ से बने कालीन को छोड़कर	1,049
31	अन्य वस्तुएं	14,943
कुल		2,50,237

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस
